पत्र संख्या / एफ0टी0. 48–3636 / 2017(एफ0सी0ए0)
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषकः नोड्ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषितः क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड,लौंगबुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश–1710001

दिनांक शिमला–1 3 NOV 2022

विषयः **Diversion of 3.01 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road FAgla to Banoi, KMs. 0/00 to 5/500, within the jurisdiction of Dalhousie Forest Division, Distt. Chamba, Himachal Pradesh(Online Proposal No. FP/HP/Road/ 27143/2017).**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर 8B/HP/06/97/2020 दिनांक 30/05/2021 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संलगन है।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संलगन है।
3. **प्रतिपुरक वनीकरणःउ**
   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन भूमि के दोगुन वन भूमि पर पौधों का रोपण किया जाएगा। इसकी लागत राशि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संलगन है।

   (ख) सी0ए0 का सही खसरा नम्बर 447 हैं।

   (ग) वन मण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
4. प्रतिपुरुक वनीकरन योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरुक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमाकंन व स्तम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप में जमा करा दी गई है।
5. **शुद्व वर्तमान मूल्यः**
   क) भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। प्रति संलग्न है।

   (ख) शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संलगन है।
6. प्रयोक्ता अभिकरण ने सहमति जताई है कि प्रस्तावित वन भूमि पर पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखा जाएगा, प्रस्ताव के अनुसार पातन किए जाने वाले पेडों की संख्या 269 पेडों से अधिक नही होगी। पेड़ों की कटाई अपरिहार्य स्थिति में राज्य वन विभाग की सख्त निगरानी में ही की जाएगी।
7. एफ0आर0ए0 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
8. राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ0सी0ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापर्ण पर लगाई गई रोक पर निर्णय लेने के पश्चात ही अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के आदेश जारी करेगी।
9. इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता संलग्न है।
10. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोंटल के माध्यम से क्षतिपुरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किया गया है। प्रयोक्ता ऐजेंसी ने इस प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) की राशी **1281570 / – रु0**, आक्समिक व्यय की राशी **रु0 64080** / – तथा शुद्व वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशी **1977540 / – रु0**, जो कुल **3323190 / – रु0** बनती है, प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में जमा की है।
11. एफ0आर0ए0 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

12. इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
13. केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Layout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी बचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।
14. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी बचन बद्वता संलगन है।
15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईधन उपलब्ध कराया जाएगा।
16. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमाकन किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
17. इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता संलग्न है।
18. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतू उपोग नहीं किया जाएगा।
19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतू उपोग नहीं किया जाएगा।
20. केन्द्र सरकार की पूर्व अनूमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन वद्धता की प्रति संलग्न है।
21. इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचन बधता संलग्न है।
22. अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्त

नोड़ल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र०

RTGS/NEFT ADVICE

Treasury Code	C	H	M	0	5	DDO Code :				6	3	2	00 SDO Code:			0		0					
DO/SDO Description: Executive Engineer HP.PWD. Dalhousie																							
Pre-Assigned Book No.	0	0	2	0	1	1	6	4	Token No.	2	0	1	1	6	3	9	8	Dt	1	5	1	1	2 0 2 1
To be directly credited to following accounts									Total Amount:-					3323190/-									

1	Himachal Pradesh Campa	CE63210690	UBIN0903710	Union Bank of India Lodhi Complex Branch Block 11,CGO Complex Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003	150706127143436	3323190
					Total:-	3323190
UTR No. SBIN121320397033						

(Rupees ThirtyThree Lakh Twenty Three Thousand One Hundred Ninety) only.

(DDO Signature (Seal)
(Pay order by DTO/TO for NEFT/RTGS)

Executive Engineer
Dalhousie Division
H.P.W.D. Dalhousie.

E-CHALLAN

Government Of HImachal Pradesh

Department of Finance

Treasuries, Accounts & Lotteries

Remmiter Copy

Valid Upto 21-Nov-2021

HIMGRN **B21K114874** Date 15-11-2021 03:35:17PM

Department Forest

BarCode

Period 15-11-2021 To 15-11-2021

DDO CHM05-802- DFO DALHOUSIE

Head	**₹Amount**
0406-01-800-12-RECEIPT FROM OTHER DEPARTME	235500
Total/Net Amount	**235500**

In words Two Lakh Thirty Five Thousand Five Hundred

Payee Detail

Licence/Vehicle/Permit/TIN no.

RECEIPT FROM OTHER DEPARTMENTS TO COMPENSATION FORESTATION -Cheque No. A 258791 dated 15.11.2021 on account of payment of Departmental Charges of forest case for the work Fagla to Banoi

Remitter Name:- EE HPPWD Dalhousie

Address:- Executive Engineer HPPWD Division Dalhousie Mob: 9418458474

FOR USE IN RECEIVING BANK

Bank CIN No **HIMGRN** B21K114874

Amount ₹ **235500**

Bank MANAGER, SBI DALHAUSEI

Cheque-DD-No.

(4)

State Bank of India 0729 Dalhousie H.P.

16 NOV 2021

... SHARMA Checker 8620318

Executive Engineer
Dalhousie Division
HPPWD Dalhousie

NIC-HP B21K114874 e-Challan (IFMS)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया **Union Bank** of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-11-2021

Agency Name.	HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6127143436
MoEF/SG File No.	8B/HP/06/97/2020/FC
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address.	Engineer-in-Chief HPPWD Nirman Bhawan Nigam Vihar ShimlaShimla
Amount(in Rs)	3323190/-

Amount in Words :Thirty-Three Lakh Twenty-Three Thousand One Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150706127143436 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया **Union Bank** of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-11-2021

Agency Name.	HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6127143436
MoEF/SG File No.	8B/HP/06/97/2020/FC
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address:	Engineer-in-Chief HPPWD Nirman Bhawan Nigam Vihar Shimla Shimla
Amount(in Rs)	3323190/-

Amount in Words :Thirty-Three Lakh Twenty-Three Thousand One Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150706127143436 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Executive Engineer
Dalhousie Division
HPPWD Dalhousie

<u>वचन बद्वता शर्त संख्या 2</u>

में वचन बद्व हूं कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि खसरा नं0 513/1,514/1, 512/1,523/1,523/1,153/2,244/1,245/1,245/2,162/1,162/2, 161/1,161/2,163/1, 163/2, 84, 90/1,141/1, 142/1, 143/1, 144/1, 160/1, 228/1, 91/1 213/1, 213/2,212/1, 156/1, 156/2, 159/1,227/1, 86/1, 124/1, 125/1, 217/1, 85/1, 110/1, 211/1, 93/1,92,106,/1164,/1,164/2,520/1, 521/1, 522/1, 526/1, 523/1, 1144/1, 1151/1, 1155/1, 1147/1, 519/1, 524/1,1149/1, 166/1, 166/2, 207/1, 1236/459/1 और 1239/459 प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपें जाने के बाद ही वन भूमि पर कार्य आरम्भ किया जाएगा I

अधिशाषी अभियन्ता
मण्डल डलहौजी
हि0 प्र0 लो0 नि0 वि0
डलहौजी

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत इस सी0 ए0 साईट (लाहडी डी0 पी0 एफ0) पर वृक्षारोपण नहीं किया गया है ।

कमल भारती

वन मण्डल अधिकारी
डल्हौजी वन मण्डल
डल्हौजी

5(२१)

REVISED UNDERTAKING FOR THE PAYMENT OF NET PRESENT VALUE OF THE FOREST AREA TO BE DIVERTED FOR THE C/O LINK ROAD FAGLA to BANOI KM 0/0 TO 5/500.

I Executive Engineer, HP: PWD Division Dalhousie, hereby undertake to pay the entire revised amount of Net Present Value in lieu of the area diverted for the construction of Link road from Fagla to Banoi Km. 0/0 to 5/500. As per rates applicable for the purpose.

Place: - Dalhousie

(Signature of User Agency)

Executive Engineer,
Dalhousie Division,
HP: PWD Dalhousie.

Date: -20.11.2021

Countersigned by: -

Divisional Forest Officer,
Dalhousie Forest Division
Dalhousie

Date:-____________

वचन बद्वता शर्त संख्या 6

में वचन बद्व हूं कि प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के विपरीत किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जाएंगे ।

अधिशाषी अभियन्ता,
मण्डल डलहौजी
हि0प्र0लो0नि0वि0
डलहौजी

कमल भारती
वन मण्डलाधिकारी
डलहौजी

वचन बद्वता शर्त संख्या 8

मैं वचन बद्व हूं कि माननीय उच्चतम न्ययायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (c) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ0 सी0 ए0 के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाने की अनुपालना करूंगा । अतः राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली से इस बारे निर्णय लिए जाने के उपरान्त ही तदानुसार स्वीकृति आदेश जारी होने पर ही वन भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करूंगा ।

अधिशाषी अभियन्ता
मण्डल डलहौजी
हि0 प्र0 लो0 नि0 वि0
डलहौजी

वचन बद्वता शर्त संख्या 9

में वचन बद्व हूं कि प्रस्तावित क्षेत्र के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर जहां भी संभव हो अधिक से अधिक स्थानीय चारा प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख– रेख में रोपित कर Greenery को maintain किया जाएगा ।

अधिशाषी अभियन्ता,
मण्डल डलहौजी
हि०प्र०लो०नि०वि०
डलहौजी

कमल भारती
वन मण्डलाधिकारी
डलहौजी

वचन बद्वता शर्त संख्या 10

में वचन बद्व हूं कि संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे ।

Executive Engineer
Dalhousie Division
HPPWD Dalhousie

कमल भारती
वन मण्डलाधिकारी
डलहौजी

वचन बद्वता शर्त संख्या 12

में वचन बद्व हूं कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम , 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू होगी तो प्राप्त करुंगा ।

Dalhousie Division
HPPWD Dalhousie

कमल भारती
वन मण्डलाधिकारी
डलहौजी

वचन बद्वता शर्त संख्या 13

में वचन बद्व हूं कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा ।

अधिशाषी अभियन्ता,
मण्डल डलहौजी
हि०प्र०लो०नि०वि०
डलहौजी

कमल भारती
वन मण्डलाधिकारी
डलहौजी

<u>वचन बद्वता शर्त संख्या 14</u>

में वचन बद्व हूं कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा ।

अधिशाषी अभियन्ता,
मण्डल डलहौजी
हि0प्र0लो0नि0वि0
डलहौजी

कमल भारती
वन मण्डलाधिकारी
डलहौजी

वचन बद्वता शर्त संख्या 15

में वचन बद्व हूं कि मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन ही दिया जाएगा ।

अधिशाषी अभियन्ता,
मण्डल डलहौजी
हि०प्र०लो०नि०वि०
डलहौजी

कमल भारती
वन मण्डलाधिकारी
डलहौजी

वचन बद्वता शर्त संख्या 16

में वचन बद्व हूं कि प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा । जिस पर forward Backward bearing & GPS Coordinates अंकित होंगे ।

अधिशाषी अभियन्ता,
मण्डल डलहौजी
हि0प्र0लो0नि0वि0
डलहौजी

कमल भारती
वन मण्डलाधिकारी
डलहौजी

वचन बद्वता शर्त संख्या 17

में वचन बद्व हूं कि मलवा तय सीमा से नीचे नही गिरेगा और उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा I मलचे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी I मलवा निस्तारण क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं काटे जाएंगे I

अधिशाषी अभियन्ता,
मण्डल डलहौजी
हि0प्र0लो0नि0वि0
डलहौजी

कमल भारती
वन मण्डलाधिकारी
डलहौजी

वचन बद्वता शर्त संख्या 18

में वचन बद्व हूं कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा` ।

अधिशाषी अभियन्ता,
मण्डल डलहौजी
हि0प्र0लो0नि0वि0
डलहौजी

कमल भारती
वन मण्डलाधिकारी
डलहौजी

वचन बद्वता शर्त संख्या 19

में वचन बद्व हूं कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतू नहीं किया जाएगा ।

अधिशाषी अभियन्ता,
मण्डल डलहौजी
हि0प्र0लो0नि0वि0
डलहौजी

कमल भारती
वन मण्डलाधिकारी
डलहौजी

वचन बद्वता शर्त संख्या 20

में वचन बद्व हूं कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एंजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी ।

अधिशाषी अभियन्ता,
मण्डल डलहौजी
हि0प्र0लो0नि0वि0
डलहौजी

कमल भारती
वन मण्डलाधिकारी,
डलहौजी

वचन बद्वता शर्त संख्या 21

मैं वचन बद्व हूं कि यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनकी जरूरी अनुमति ली जाएगी।

अधिशाषी अभियन्ता,
मण्डल डलहौजी
हि0प्र0लो0नि0वि0
डलहौजी

कमल भारती
वन मण्डलाधिकारी
डलहौजी

वचन बद्वता शर्त संख्या 22

में वचन बद्व हूं कि अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी ।

अधिशाषी अभियन्ता,
मण्डल डलहौजी
हि0प्र0लो0नि0वि0
डलहौजी

कमल भारती
वन मण्डलाधिकारी
डलहौजी